पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करने की योजना

केन्द्रीय सरकार वर्ष 1995 से आतंकवाद और विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करने की योजना लागू करती रही है। यह योजना मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधियां 90:10 के अनुपात में शेयर की जाएंगी और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों जिनमें भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्थापना, राज्य में तैनाती की गई सीएपीएफ/थल सेना को उपलब्ध कराई गई लॉजिस्टिक, उग्रवादी हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रह-अनुदान और नि:शुल्क राहत, सैन्य क्रिया में पीओएल (पेट्रोल, ऑयल तथा लुब्रिकैंट्स) पर किया गया 75% व्यय, पुलिस कार्मिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि, सुरक्षा प्रयोजनों के लिए तैनात गार्डों/ग्राम रक्षा समितियों/होमगार्डों को संदेय पारिश्रमिक, उन समूहों के लिए स्थापित निर्दिष्ट कैंप जिनके साथ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों ने सैन्य क्रिया स्थगन करार किया है, के अनुरक्षण पर किए गए व्यय, आत्मसमर्पण किए गए आतंकवादियों तथा उनके पुनर्वास के लिए प्रतिपूर्ति संबंधी किए गए व्यय शामिल है, पर व्यय किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की योजना भी व्यापक समीक्षा 01.04.2018 से प्रभावी है और इसमें निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं :

- ✓ होमगार्डों के वेतन को 150/- रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 200/- रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
- ✓ ग्राम रक्षा गार्ड का पारिश्रमिक 1500/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000/- रुपए तक दुगुना कर दिया गया है।
- ✓ प्रत्येक एसओओ (सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन) के लिए निर्दिष्ट कैंप का अनुरक्षण व्यय 3000/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000/- रुपए कर दिया गया है।
- ✓ उग्रवादी हिंसा में मारे गए/घायल हुए व्यक्ति को अनुग्रह राशि में वृद्धि।
  - नागरिक मृत्यु - 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है।
  - पुलिस कार्मिक की मृत्यु - 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।
  - पुलिस के लिए स्थाई अपंगता - 75,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
- ✓ एसओओ संवर्ग के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था।

- पिछले सात वर्षों के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई प्रतिपूर्ति निम्नवत है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2012-13	112.86	69.36	20.62	11.32	-	50.74	**264.90**
2013-14	159.18	42.50	25.01	42.18	16.60	4.53	**290.00**
2014-15	106.69	57.88	37.76	27.23	12.61	18.83	**261.00**
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	**280.00**
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	**300.00**
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	**405.00**
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	**250.00**

- चालू वित्त वर्ष 2019-20 में, सुरक्षा संबंधी व्यय (पूर्वोत्तर) योजना के अंतर्गत 195 करोड़ रु. की राशि आबटित की गई है।